THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE (TRIBUNALS) ACT, 1976¹ [U.P. Act No. 17 of 1976]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative council on April 1, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 5, 1976.

Received the Assent of the President on April 30, 1976 under Article 201 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated May 1, 1976.]

AN

ACT

to provide for the (constitution of a tribunals)⁴ to adjudicate disputes in respect of maters relating to employment of all public servants of the State.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty -Seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent, commencement and application

- 1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal)⁵ Act, 1976.
 - (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.
 - (3) It shall be deemed to have come into force on November 24, 1975.
 - (4) This section and sections 2 and 6 shall apply in relation to all public servants while the remaining provisions shall not apply to the following classes of public servants, namely:-
 - (a) a member of a judicial service;
 - (b) (an officer or servant of the High Court or of a court subordinate to the High Court;) 2
 - (c) a member of the secretariat staff of any House of the State Legislature;
 - (d) a member of the staff of the State Public Service Commission;
 - (e) a workman as defined in the Industrial Disputes Act, 1947 or the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947.
 - ((f) a member of the Staff of the Lok Ayukta.)³
 - ((g) the Chairman, Vice-Chairman, Members, officers or other employees of the Tribunal.) $^{\!\!\!6}$
 - 1. For statement of objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary) dated March 31, 1976.
 - 2. Substituted, clause by, in section 2 U.P. Act no 01 of 1977.
 - 3. Added by section 2 of U.P. Act no. 13 of 1985.
 - 4. Substituted by section 2 of U.P. Act no 07 of 1992.
 - 5. Substituted by section 3 ibid.
 - 6. Inserted by section 2 of U.P. Act no 05 of 2000.

Definitions 2- In this Act—

- (a) "appointed date' means the twenty-fourth day of November, 1975;
- [(aa) 'Presenting Officer' includes an Assistant Presenting Officer appointed by the State Government;]¹
- [(a-1) 'Bench' means a Bench of the Tribunal;
- (a-2) 'Chairman' means the Chairman of the Tribunal;
- [(a-2A) 'Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court,]⁶
- (a-3) 'District Judge' means the District Judge within the meaning of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887;
- [(a-3(A) "Legal representative" means a person, who in law represents the state of the deceased person and includes a person in whom the right to receive pensionary, retirement, terminal or other benefits vests;]⁹
- (a-4) 'Member' means a Judicial or Administrative member of the Tribunal and includes its Chairman and Vice-Chairman;]⁴
 - (b) ²["public servant' means every person in service of pay of--
 - (i) the State Government; or
 - (ii) a local authority not being a Cantonment Board ;or
- ³[(iii) any other corporation owned or controlled by the State Government (including any company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956 in which not less than fifty per cent of paid up share capital is held by the State Government) but does not include—
 - (1) a person in the pay or service of any other company; or
 - (2) a member of the All India Services or other Central Services.]³
- [(bb) 'Service matter" means a matter relating to the conditions of service of a public servant.]⁷
 - ⁵[(c) 'Tribunal' means a Tribunal constituted under section 3;
- [(d) Vice-Chairman' means the Vice-Chairman (Judicial) or Vice Chairman (Administrative) of the Tribunal.]⁸
- 1. Inserted by section 3 (i) of U.P. Act no 01 of 1977.
- 2. Substituted by section 3 (ii) ibid.
- 3. Substituted by section 2 of U.P. Act no 13 of 1980.
- 4. Inserted by section 4 (a) of U.P. Act no 07 of 1992.
- 5. Substituted by section 4 (b) ibid.
- 6. Inserted by section 3 (a) U.P. Act no 05 of 2000.
- 7. Inserted by section 3 (b) ibid.
- 8. Substituted by section 3(c) ibid.
- 9. Inserted by section 2 of Uttarakhand Act, no.34 of 2013.

- ¹[Constitution of the Tribunal
- (1) As soon as may be after the commencement of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1992, the State Government shall, by notification, establish a Tribunal to be called the State Public Services Tribunal.
- (2) The Tribunal shall consist of a Chairman, [a Vice-Chairman (Judicial), a Vice-Chairman (Administrative)]² and such number of other judicial and Administrative members not less than five in each category, as may be determined by the State Government.
- (3) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he—
 - (a) has been a Judge of a High Court, or
 - (b) has, for at least two years held the post of Vice-Chairman, or
 - (c) has been a member of the Indian Administrative Service who has held the post of a Secretary to the Government of India or any other post under the Central or the State Government equivalent thereto, and has adequate experience in dispensation of justice.
- [(4) A person shall not be qualified for appointment as Vice Chairman (Judicial) unless he,-
 - (a) has held the post of District judge or any other post equivalent thereto for at least five years; or
 - (b) has, for at least two years held the post of a judicial member;
- (4-A) A person shall not be qualified for appointment as vice-Chairman (Administrative) unless, he,--
 - (a) has, for at least two years, held the post of an Administrative member; or
 - (b) has, for at least two years, held the post of Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central or a State Government carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India and has, in the opinion of the State Government, adequate experience in dispensation of justice.]³
- (5) A person shall not be qualified for appointment as a judicial Member, unless he has held the post of District Judge, or any other post equivalent thereto.
- (6) A person shall not be qualified for appointment as an administrative Member, unless he has held, or has been eligible to hold, the post of Commissioner of a Division or joint Secretary to the Government of India and [has, in the opinion of the State Government, adequate experience] in dispensation of justice.
- (7) The Chairman, vice-Chairman and every other member shall be appointed by the [State Government after consolation with the Chief Justice for which proposal will be initiated by the State Government]⁵:
 - 1. Substituted by section 5 of U. P. Act no 07 of 1992.
 - 2. Substituted by section 4 (a) of U. P. Act no 05 of 2000.
 - 3. Substituted by section 4(b) ibid.
 - 4. Substituted by section 4(c) ibid.
 - 5. Substituted by section 4(d) ibid.

Provided that no person shall assume the office of Chairman, Vice-Chairman or other member, as the case may be, unless he has resigned or retired from, as the case may be, the judgeship of the high court, or the Indian Administrative Service or the Uttar Pradesh Higher Judicial Service or any other service in which he was serving except the service as vice-Chairman or Member.

(8) The Chairman, Vice-Chairman or other member shall hold office as such for a term of five years from the date on which he enters upon his office but shall be eligible for re-appointment for another term of five years:

Provided that no Chairman, vice-Chairman or other member shall held office as such after he has attained,

- [(a) in the case of Chairman or Vice-Chairman, the age of sixty-seven years, and
- (b) in the case of any other member the age of sixty-five years.]²
- (9) The Chairman, Vice-Chairman or any other member may by notice in writing under his hand addressed to the Governor resign his office:

Provided that the Chairman, Vice-Chairman or other member shall, unless he is permitted by the Governor to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiration of three months from the date of receipt of notice or until a person duly appointed as his successor enters upon office or until the expiration of his term of office, whichever is the earliest.

- (10) The Chairman, Vice-Chairman or any other member shall not be removed from his office except by an order made by the Governor on the ground of proved misbehavior or incapacity after {in inquiry made by the Chief Justice or such judge of the High court as may be nominated by the Chief Justice}¹ in the prescribed manner, in which such Chairman, Vice-Chairman or other member as the case may be, has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.
- (11) On ceasing to hold office, the Chairman, Vice-Chairman or other member shall be ineligible for further employment under the State Government, or any local or other authority under the control of the State Government, or any corporation or society owned or controlled by the State Government:

Provided that subject to other provisions of this Act, a Vice-Chairman shall be eligible for appointment as Vice-Chairman or Chairman.

- (12) On ceasing and allowances payable to the Chairman, Vice-Chairman and other members shall not appear, act or plead before the Tribunal on behalf of any person.
- (13) The salaries and allowances payable to the Chairman, Vice- Chairman and the members and the other conditions of their service shall be such as may be determined by the State Government from time to time.
- (14) Where the Chairman is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, or where any vacancy occurs in the office of the Chairman by reason of his death, resignation or otherwise, the Vice-Chairman and where the vice Chairman is likewise unable to discharge his function or the office of the Vice Chairman also is vacant, such other member as the State Government may by special or general order specify, shall discharge the functions of the Chairman until the Chairman resumes his duties or as the case may be a Chairman appointed in accordance with the provisions of this Act assumes charge of his office.

¹⁻ Substituted by section 4 (e) of U. P. Act no 05 of 2000.

²⁻ Substituted by section 3 of Uttarakhand Act no 34 of 2013.

[The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976]

[Section 3A-4]

[Staff of the Tribunal

3-A

- (1) The State Government shall determine the nature and categories of the officers and other employees required to assist the Tribunal in the discharge of its functions and provide the Tribunal with such officers and other employees as it may think fit.
- (2) The officers and other employees of the Tribunal shall discharge their functions under the general superintendence of the Chairman.
- (3) The salaries and allowances and conditions of service of the officers and other employees of the tribunal shall be such as may be prescribed.]¹
- (1) Subject to the other provision of this Act, a person who is or has been a public servant and is aggrieved by an the order pertaining to a service matter within the jurisdiction of the Tribunal, may make a reference of claim to the Tribunal for the redressal of his grievance.

Explanation: For the purpose of this sub-section "order" means an order or omission or in-action of the State Government or a local authority or any other corporation or company referred to in clause (b) of section 2 or of an officer, committee or other body or agency of the State Government or such local authority or Corporation or company:

Provided that no reference shall, subject to the terms of any contract, be made in respect of a claim arising out of the transfer of a public servant;

Provided further that in the case of the death of a public servant, his legal representative and where there are two or more such representative, all of them jointly, may make a reference to the 'Tribunal for payment of salary' allowances, gratuity, provident fund, pension and other pecuniary benefits relating to service due to such public servant.]2

- (2) Every reference under sub-section (1) shall be in such form and be a accompanied by such documents or other evidence and by such fee in respect of the filling of such reference and by such other fees for the service or execution of processes, as may be prescribed.
- (3) On receipt of a reference under sub-section (1), the Tribunal shall, if satisfied after such inquiry as it may deem necessary that the reference is fit for adjudication or trial by it, admit such reference and where the Tribunal is not so satisfied, it shall summarily reject the reference after recording its reasons.
- (4) Where a reference has been admitted by the Tribunal under sub-section (3), every proceeding under the relevant service rules or regulation or any contract as to redressal of grievances in relation to the subject mater of such reference pending immediately before such admission shall abate, and save as otherwise directed by the Tribunal, no appeal or representation in relation to such matter shall thereafter be entertained under such rules, regulations or contract.
- (5) The Tribunal shall not ordinarily admit a reference unless it is satisfied that the public servant has availed of all the remedies available to him under the relevant service rules, regulations or contract as to redressal of grievances.
- (6) For the purposes of sub-section (5) a public servant shall be deemed to have availed of all the remedies available to him if a final order has been made by the State Government, an authority or officer thereof or other person competent to pass such order under such rules or regulations or contract rejecting any appeal preferred or representation made by such public servant in connection with the grievance:

[Reference [4-of claims to Tribunal

- 1- Inserted by section 5 by 3 (b) of U. P. Act no 07 of 1992.
 - 2- Subs. By section 4 of Uttrakhand Act, no. 34 of 2013.

Provided that where no final order is made by the State Government, authority, officer or other person competent to pass such order with regard to the appeal preferred or representation made by such public servant within six months from the date on which such appeal was preferred or representation was made, the public servant may, by a written notice by registered post, require such competent authority to pass the order and if the order is not passed within one month of the service of such notice, the public servant shall be deemed to have availed of all the remedies available to him.

(7) For the purposes of sub-section (5) and(6) any remedy available to the public servant by way of submission of a memorial to the Governor or to any other functionary shall not be deemed to be one of the remedies, which are available unless the public servant had elected to submit such memorial.]²

²[Hearing of Reference by the Tribunal

4- A

- (1) The Chairman may from time to time constitute Benches consisting of a single member or two members, for the disposal of such references of claims and other matters as may be specified by him.
- (2) It shall be lawful for the Chairman to nominate himself as a member of any such Bench.
- (3) A bench consisting of two members shall include a judicial Member and an Administrative Member.

Explanation: For the purposes of this sub-section the Chairman who has been a High court judge or a District judge or a Vice-Chairman who has been a District judge shall be deemed to be a judicial Member and a Chairman or Vice-Chairman who has been the member of the Indian administrative service shall be deemed to be an administrative member.

- (4) The jurisdiction, powers and authority of the Tribunal may be exercised by any such bench and anything done by any such Bench in exercise of such jurisdiction, power or authority shall be deemed to have been done by the Tribunal.
- (5) [(a) A reference of claim against an order pertaining to a matter specified in the Schedule shall be heard and finally decided by a Bench consisting of two members:

Provided that evidence may be received and proceeding therefor may be conducted by a single member.]³

- (b) A reference of claim other than that referred to in clause (a) may be heard and finally decided by a Bench consisting of a single member.
- (c) The Chairman [may, on his own imitative or on the application of a party to a reference of claim]⁴ transfer a case from one Bench to another Bench.
- (6) Where the members of a Bench consisting of two members are unable to agree, the mater shall be referred to another member nominated by the Chairman and the decision of such other member shall be final and operative.
- (7) The Tribunal, its Benches and members shall, for transaction business under this Act sit at Lucknow or at such other places as the State Government may direct.]¹
 - 1. Substituted by section 7 of U.P. Act no 07 of 1992.
 - 2. Substituted by section 5 of U.P. Act no 05 of 2000.
 - 3. Substituted by section 6 (a) ibid.
 - 4. Substituted by section 6 (b) ibid.

Powers and 5procedure of the Tribunal (1) (a) The Tribunal shall not be bound by the procedure laid down in the code of civil procedure, 1908, or the rules of evidence contained in the Indian Evidence Act, 1872, but shall be guided by the principles of natural justice, and subject to the provisions of this section and of any rules made under section 7, the Tribunal shall have power to regulate its own procedure (including the fixing of places and times of its sittings and deciding whether to sit in public or in private:

[Provided that where, in respect of the subject matter of a reference, a competent court has already passed a decree or order or issued a writ or direction, and such decree, order, writ or direction has become final, the principal of res judicial shall apply;]¹

- ²[(b) The provisions of the Limitation Act, 1963 shall mutatis mutandis apply to reference under section 4 as if a reference were a suit filed in civil court so, however, that:-
- (i) Notwithstanding the period of limitation prescribed in the Schedule to the said Act, the period of limitation for such reference shall be one year;
- (ii) In computing the period of limitation the period beginning with the date on which the public servant makes a representation or prefers an appeal, revision or any other petition (not being a memorial to the Governor), in accordance with the rules or orders regulating his conditions of service, and ending with the date on which such public servant has knowledge of the final order passed on such representation, appeal, revision or petition, as the case may be, shall be excluded:

Provided that any reference for which the period of limitation prescribed by the Limitation Act, 1963 is more than one year, a reference under section 4 may be made within the period prescribed by that Act, or within one year next after the commencement of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1985, shall affect any reference made before and pending at the commencement of the said Act.

Provided further that nothing in this clause as substituted by the Uttar Pradesh Public Service (Tribunals) (Amendment) Act, 1985, Shall affect any reference made before and pending at the commencement of the said Act."]²

- (2) The Tribunal shall decide every reference expeditiously and ordinarily, every case shall be decided by it on the basis of perusal of documents and representations, and of [oral or written argument]³, if any.
- (3) The Tribunal may admit in evidence in lieu of any original document, a copy thereof attested by a gazetted officer or by a notray.
- (4) The Tribunal shall not ordinarily call for or allow being adduced oral evidence, and may, if necessary, requiring any party to file an affidavit.
- (5) The Tribunal shall, for the purpose of holding any inquiry under this Act, have, subject to the provisions of sub-section (1) the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit, in respect of the following maters:-

¹⁻ Inserted by section 4 clause (i) U.P. Act no 01 of 1977.

²⁻ Substituted by section 4 (a) of U.P. Act no 13 of 1985.

³⁻ Substituted by section 4 ibid.

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of documents;
 - (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) subject to the provisions of section 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872, requisitioning any public record or copy thereof from any office;
 - (e) issuing commission for the examination of witnesses or documents;
- (f) recording a lawful agreement, compromise or satisfaction and making an order in accordance therewith;
 - (g) reviewing its decision;
 - (h) dismissing a reference for default or deciding it expert;
- (i) setting aside an order of dismissal for default or an order passed by it ex parte;
- (j) passing interlocutory orders pending final decision of any reference on such terms, if any, as it thinks fit to impose;
 - (k) any other matter which may be prescribed.
- [5-A) No interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) shall be passed by the Tribunal on or in any proceedings relating to any reference unless—
 - (a) copies of such reference and application for interim order, along with all documents in support of the plea for such interim order are furnished to the party against whom such petition is filed, and
 - (b) at least fourteen days time is given to such party to file a reply and opportunity is given to it to be heard in the matter,

Provided that the Tribunal may dispense with the requirements of (a) and (b) and may, for reasons to be recorded, make an interim order, as an exceptional measure, if it is satisfied that it is necessary so to do for preventing any loss to the petitioner which cannot be adequately compensated in money, but any such interim order shall, if it is not vacated earlier, cease to have effect on the expiry of the period of 14 days from the date on which it is made unless the said requirements have been complied with before the expiry of the said period and the Tribunal has continued the operation of that order.

(5-B) Notwithstanding anything in the foregoing sub-sections the Tribunal shall have no power to make an interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an order made or purporting to be made by an employer for the suspension, dismissal, removal, reduction in rank, termination, compulsory retirement or reversion of a public servant, and every interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner), in respect of such matters, which was made by a Tribunal before the date of commencement of this sub-section 'and which is in force on that day, shall stand vacated.]¹

- [(5-C) Notwithstanding anything in the forgoing sub-sections, the Tribunal shall have no poser to make an interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an adverse entry made by an employer against a public servant, and every interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an adverse entry, which was made by a Tribunal before the commencement of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2000 and which is in force on the date of such commencement shall stand vacated.]²
- (6) A declaration made by the Tribunal shall be binding on the claimant and his employer as well as on any other public servant who has, in respect of any claim affecting his interest adversely, been given an opportunity of making a representation against it, and shall have the same effect as a declaration made by a court of law.
- [(7) The order of the Tribunal finally disposing of a reference shall be executed in the same manner in which any final order of the State Government or other authority or officer or other person competent to pass such order under the relevant service rules as to redressal of grievances in any appeal preferred or representation made by the claimant in connection with any matter relating to his employment to which the reference relates would have been executed.]¹
- (8) (a) The employer may appoint a public servant or a legal practitioner, to be known as the presenting officer, to present its case before the Tribunal.
- (b) The public servant may take the assistance of any other public servant to present his case before the Tribunal on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless either (i) the Presenting Officer appointed by the employer is a legal practitioner, or (ii) the Tribunal, having regard to the circumstances of the case, so permits.
- (9) Any proceeding before the Tribunal shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of [sections 193, 219]³ and 228 of the Indian Penal Code.
- (10) A reference or a reply to a reference or an application may be signed either by the appointing authority or by the presiding officer or, where the appointing authority is the Governor, by an officer not below the rank of Deputy Secretary authorized by the State Government in this behalf, and in the case of a local authority, corporation or company by the chief Executive Officer or Secretary thereof, as the case may be.

[Power to punish for contempt

Without prejudice to the jurisdiction, powers and authority of the High Court under the Contempt of Courts Act, 1971 in respect of contempt of courts subordinate to it, the Tribunal shall have and exercise, jurisdiction, powers and authority in respect of contempt of it self as the High Court has, and may exercise, in respect of contempt of itself, and for this purpose the provisions of the contempt of Courts Act, 1971 shall, *mutatis mutandis*, apply subject to the following modifications, namely:-

- 1- Substituted by section 8 of U.P. Act no 07 of 1992.
- 2- Inserted by section 7 (a) of U.P. Act no 05 of 2000.
- 3- Substituted by section 7(b) ibid.

- (a) reference therein to High Court, its Chief Justice and other judges shall be construed as reference to the Tribunal its Chairman and other members respectively;
- (b) reference to Advocate General in section 15 of the said Act shall be construed as reference to [the public prosecutor appointed by the State Government under sub-section (1) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 or such other law officer]⁴ as the State Government may by notification, specify in that behalf;
 - (c) in section 19 of the said Act,--
- (i) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(1) An appeal shall lie as of right from any order or decision of the Tribunal in the exercise of its jurisdiction to punish for contempt to the High Court.
- (ii) for sub-section (4) the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(4) An appeal under sub-section (1) shall be filled within sixty days from the date of the order appealed against."]¹

Bar of suits 6-

- (1) No suit shall lie against the State Government or any local authority or any statutory corporation or company for any relief in respect of any matter relating to employment at the instance of any person who is or has been a public servant, including a person specified in [clauses(a) to (g)]³ of sub-section 4 of section 1.
- (2) All suits for the like relief, and all appeals, revisions, applications for review and other incidental or ancillary proceedings (including all proceedings under order XXXIX of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908) arising out of such suits, and all applications for permission to sue or appeal as pauper for the like relief, pending before any court subordinate to the High Court and all revisions (arising out of interlocutory orders) pending before the High Court on the date immediately preceding the appointed date shall abate, and their records shall be transferred [to the Tribunal]², and thereupon the Tribunal shall decide the cases in the cases in the same manner as if they were claims referred to it under section 4:

Provided that the Tribunal shall, subject to the provisions of section 5, recommence the proceedings from the stage at which the case abated as aforesaid and deal with any pleadings presented or any oral or documentary evidence produced in the court as if the same were presented or produced before the Tribunal.

^{1.} Inserted, new section 5-A by, in section 9 by, U.P. Act no 07 of 1992.

^{2.} Substituted by section 10 ibid.

^{3.} Substituted by section 8 U.P. Act no 05 of 2000.

^{4.} Substituted by section 9 ibid.

(3) All appeals pending before the High court on the date immediately preceding the appointed date arising out of such suits shall continue to be heard and disposed of by that court as heretofore as if this Act had not come into force:

Provided that if the High Court considers it necessary to remand or refer back the case under rule 23 or rule 25 of order 41 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 the order of remand or reference shall be directed [to the Tribunal]¹ instead of to the subordinate court concerned and the Tribunal shall thereupon decide the case or issue, subject to the directions of the High court, in the same manner as if it were a claim referred to it under section 4.

Members and Staff of the Tribunal to be public servants

[6-A The Chairman Vice-Chairman, Members, Officers and other employees of the Tribunal shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Protection of action taken in good faith

6-B No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Chairman, Vice-Chairman, Members or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Member to be Judge

6-C

The Chairman, Vice-Chairman and Members shall be deemed to be the Judges for the purposes of the Judge (Protection) Act, 1985 and the Judicial Officers Protection Act, 1850.]³

Power to make 7-rules

- (1) The State Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) ²[In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following mater, namely:-
 - (a) the powers and procedure of the Tribunal;
 - (b) the constitution of and distribution of business among the Benches;
 - (c) [the form in which a reference of claim may be made the document and other evidence by which such reference shall by accompanied and the fees payable in respect of the filing of such reference or for the execution or service of processes;]²
 - (d) the salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairman, Vice-Chairman, members, officers and other employees of the Tribunal;
 - (e) the financial and administrative powers of the Chairman;
 - (f) any other matter for which insufficient provision exists in this Act and the State Government considers provision in that behalf necessary or expedient.
 - 1- Substituted by section 10 U.P. Act no 07 of 1992.
 - 2- Substituted by section 11 ibid.
 - 3- Inserted new section 6-A, 6-B and 6-C by, section 10, U.P. Act no 05 of 2000.

(3) The power to make rules under clause (d) of sub-section (2) shall include the power to make such rules or any of them retrospectively from a date not earlier than the date of commencement of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 1992, but no such retrospectives effect shall be given to any such rule so as to prejudicially affect the interest of any person to whom such rules may be applicable.]¹

Repeal savings and transitory provision

8-

- (1) The Uttar Pradesh Public Service (Tribunal) Ordinance 1976 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Ordinance, 1975 by the Ordinance mentioned in sub-section (1) anything done or any action taken under the said ordinances shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act was in force at all material times.
- (3) In relation to orders mentioned in the proviso to clause (b) of subsection (1) of section 5 of this Act and application referred to in sub-section (2) of section 6 of this Act which were not mentioned in the corresponding provisions of the said Ordinance of 1975, the references to the appointed date shall be construed as references to February 16, 1976.

[SCHEDULE [See section 4-A(5) (a)]

Matters to be heard and finally decided by a Bench consisting of two members.

- 1. All references of claims against an order pertaining to,--
 - (a) promotion, seniority, date of birth or date of superannuation of a public servant;
 - (b) regularization in a service referred to in clause (b) of section 2;
 - (c) dismissal, removal, reversion or reduction in rank, permanent stoppage of increment, break in service, compulsory retirement, suspension, termination or resignation of a public servant;
 - (d) with holding or withdrawing pension, and counting of period for pension, of a retired public servant.
- 2. All contempt matters.
- 3. Admission of references of claims against orders pertaining to the aforesaid matters.]²
 - 1. Substituted by section 11 of U.P. Act no 05 of 2000.
 - 2. Inserted Schedule by section 12 of U.P. Act No. 05 of 2000.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976¹ {उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1976}

{उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 1 अप्रैल, 1976 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 5 अप्रैल, 1976 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।}

{"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्पित ने दिनांक 30 अप्रैल, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण में दिनांक 1 मई, 1976 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

राज्य के समस्त लोक के सेवायोजन से सम्बद्ध विषयों के संबंध में विवादों के न्याय निर्णयन के निमित्त {एक अधिकरण का गठन} की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा {अधिकरण} अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह २४ नवम्बर, १९७५ से प्रवृत्त समझा जायगा।
- (4) यह धारा 2 और 6 सभी लोक सेवकों के सम्बन्ध में लागू होंगी जबकि शेष उपबन्ध लोक सेवकों के निम्नलिखित वर्गों पर लागू होंगे, अर्थात् —
 - (क) न्यायिक सेवा के सदस्य;
 - {(ख) उच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के अधिकारी या सेवक;}²
 - (ग) राज्य विधान मण्डल के किसी सदन के सचिवालय कर्मचारियों के सदस्य;
 - (घ) राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के सदस्य;
 - (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, वर्ष 1947 ई0 में परिभाषित कर्मकार (वर्कमैन);
 - {(च) लोक आयुक्त के कर्मचारिवर्ग के सदस्य;}³
 - $\{(\mathfrak{v})\}$ अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी। $\{\mathfrak{v}\}$

^{1.} उददेश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 31 मार्च, 1976 का उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट देखिए।

^{2.} उ०प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1977 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3.} उ०प्र० अधिनियम सं० 13 वर्ष 1985 की धारा 2 द्वारा बढा़या गया।

^{4.} उ०प्र० अधिनियम सं० ०७ वर्ष १९९२ की धारा २ द्वारा शब्द प्रतिस्थापित।

^{5.} उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा शब्द प्रतिस्थापित।

^{6.} उ०प्र० अधिनियम सं० 5 वर्ष २००० की धारा २ द्वारा खण्ड जोडा़ गया।

परिभाषाएं

(धारा 2)

2— इस अधिनियम में—

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य 24 नवम्बर, 1975 से है;

{(कक) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी सम्मिलित है,}¹

{(क-1) 'न्यायपीठ'' का तात्पर्य अधिकरण की न्यायपीट से है;

(क-2) 'अध्यक्ष'' का तात्पर्य अधिकरण के अध्यक्ष से है;

 $\{(\sigma-2\sigma) \text{ "मुख्य न्यायाधीश" का तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है,<math>\}^6$

(क—3) 'जिला न्यायाधीश' का तात्पर्य बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 के अर्थ में जिला न्यायाधीश से है,

{(क—3(क)) ''विधिक प्रतिनिधि'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधिक दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व करता हो और इसमें पेंशनिक, सेवानिवृत्ति, सेवान्त या अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार धारण करने वाला व्यक्ति भी सिम्मिलित है;}

(क−4) 'सदस्य' का तात्पर्य अधिकरण के न्यायिक या प्रशासनिक सदस्य से है और इसके अन्तर्गत अधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से है;}⁴

²{(ख) लोक—सेवक'' का तात्पर्य प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित की सेवा में या उसका वेतन भोगी हो——

(एक) राज्य सरकार, या

(दो) स्थानीय प्राधिकारी, जो छावनी बोर्ड न हो, या

³{(तीन) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई अन्य निगम (जिनके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित कोई ऐसी कम्पनी भी है, जिसमें पचास प्रतिशत से अन्यून समादत्त अंशपूंजी राज्य सरकार धारण करती है):

किन्तू इसके अन्तर्गत निम्नलिखत नहीं है :-

- (1) किसी अन्य कम्पनी की वेतन भागी या उसकी सेवारत कोई व्यक्ति; या
- (2) अखिल भारतीय सेवाओं या अन्य केन्द्रीय सेवाओं का कोई सदस्य:}³

 $\{$ खख) 'सेवा सम्बन्धी मामले' का तात्पर्य किसी लोक सेवक की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले से हैं; $\}^7$

⁵{(्ग) ''अधिकरण'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित अधिकरण से है;

{(घ) ''उपाध्यक्ष 'का तात्पर्य अधिकरण के उपाध्यक्ष (न्यायिक) या उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) से है।}

^{1—} उ०प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1977 की धारा 3 (एक) द्वारा बढा़या गया।

²⁻ उपर्युक्त की धारा 3 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3—} उ०प्र० अधिनियम सं० 13 वर्ष 1980 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

^{4—} उ०प्र० अधिनियम सं० ०७ वर्ष १९९२ की धारा ४ (क) द्वारा जोड़ा गया।

^{5—} उपर्युक्त की धारा 4(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

⁶⁻ उ०प्र० अधिनियम सं० ०५ वर्ष २००० की धारा ३ (क) द्वारा जोडा गया।

⁷⁻ उपर्युक्त की धारा 3 (ख) द्वारा जोडा़ गया।

^{8—} उपर्युक्त की धारा 3 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{9—} उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ३४ वर्ष २०१३ की धारा २ द्वारा जोडा गया।

(धारा 3

- ¹{3—— (1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण स्थापित करेगी, जिसे राज्य लोक सेवा अधिकरण कहा जाएगा।
- अधिकरण का गठन
- (2) अधिकरण में एक अध्यक्ष, {एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), एक उपाध्यक्ष (प्रशासकीय)} और न्यायिक और प्रशासकीय श्रेणी के कम से कम पांच—पांच अन्य सदस्य उतनी संख्या में होंगे जितनी राज्य सरकार अवधारित करे।
 - (3) कोई व्यक्ति अध्यक्ष्य के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि--
 - (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो, या
 - (ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक उपाध्यक्ष का पद धारण न किया हो, या
- (ग) वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य न रहा हो, जिसने भारत सरकार के सिवव या उसके समकक्ष केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण किया हो और जिसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव हो।
- (4) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा, जब तक कि——
- (क) उसने कम से कम पांच वर्ष तक जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो; या
 - (ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य का पद धारण न किया हो।
- (4-क) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि —
 - (क) उसने कम से कम दो वर्ष तक (प्रशासकीय) सदस्य का वर्ष धारण न किया हो; या
- (ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद धारण न किया हो जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो और उसे राज्य सरकार की राय में न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो।}3
- (5) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि उसने जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो।
- (6) कोई व्यक्ति प्रशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि उसने किसी मण्डल के आयुक्त या भारत सरकार के संयुक्त सचिव का पद धारण न किया हो या धारण करने के लिए अर्ह न हो और {उसे राज्य सरकार की राय में, न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो।}
- (७) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य [मुख्य न्यायधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे, जिसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया जायेगाः]⁵

¹⁻ उ०प्र० अधिनियम सं० ७ वर्ष 1992 की धारा 5 द्वारा धारा 3 प्रतिस्थापित।

²⁻ उ०प्र० अधिनियम सं० ०५ वर्ष २००० की धारा ४ खण्ड (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

³⁻ उपर्युक्त की धारा 4 खण्ड (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴⁻ उपर्युक्त की धारा 4 खण्ड (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

⁵⁻ उपर्युक्त की धारा 4 खण्ड (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु कोई व्यक्ति यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद धारण नहीं करेगा जब तक कि उसने यथास्थिति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से, या भारतीय प्रशासनिक सेवा से या उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा से या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा से भिन्न किसी अन्य सेवा से, जिसमें वह सेवारत था, त्यागपत्र न दे दिया हो या सेवानिवृत्त न हो गया हो।

(8) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद धारण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, किन्तु वह पांच वर्ष की एक और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा :

परन्तु- -

- {(क) अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के मामले में सड़सट वर्ष; और
- (ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।}²
- (9) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य राज्यपाल को सम्बोधित स्व–हस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकता है :

परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य जब तक उन्हें राज्यपाल द्वारा पहले ही पद छोड़ने की अनुज्ञा नहीं दी जाती, सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास की समाप्ति तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पद संभालने तक या अपनी पदावधि की समाप्ति तक, इनमें जो भी सबसे पहले हो, अपना पद धारण करता रहेगा।

- (10) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, विहित रीति से [मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश द्वारा, जिसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाय, की गई ऐसी जांच के पश्चात्] जिसमें यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा दिये गये किसी आदेश के सिवाय अपने पद से हटाया नहीं जायेगा।
- (11) पद पर न रह जाने पर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, राज्य सरकार के, या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के, या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या सोसाइटी के अधीन अग्रतर नियोजन के लिये पात्र नहीं होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा और कोई सदस्य उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

- (12) पद पर न रह जाने पर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति की ओर से न उपस्थिति होगा, न कार्य करेगा और न अभिवचन करेगा।
- (13) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायें।
- (14) जहां अध्यक्ष अनुपस्थिति या अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, या जहां अध्यक्ष का पद उसकी मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा रिक्त हो जाय वहां उपाध्यक्ष, और जहां उपाध्यक्ष उसी तरह अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो वहां ऐसा अन्य सदस्य जैसा राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अध्यक्ष के अपने कर्तव्यों के पुनः संभालने, या यथास्थिति इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त अध्यक्ष के अपने पद का भार संभालने तक, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

^{1—} उ०प्र० अधिनियम सं० ०५ वर्ष २००० की धारा ४ खण्ड (ड.) द्वारा प्रतिस्थापित।

²⁻ उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या ३४ वर्ष २०१३ की धारा ३ द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 3क-4}

अधिकरण के कर्मचारी

(3-क-- (1) राज्य सरकार अधिकरण की, उसके कृत्यों के निर्वहन में, सहायता करने के लिये, अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण करेगी और अधिकरण के लिये ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जैसा वह उचित समझे।

- (2) अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।
- (3) अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाये।}1
- 2 {{4--- (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो लोक सेवक हो या रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा सम्बन्धी मामले के सम्बन्ध में किसी आदेश से व्यथित हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिये अधिकरण को

दावा निर्दिष्ट कर सकेगा। स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजन के लिये "आदेश" का तात्पर्य राज्य सरकार या

धारा 2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निगम या कम्पनी द्वारा या राज्य सरकार या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या निगम के किसी अधिकारी. समिति या अन्य निकाय या अधिकरण, द्वारा दिये गये किसी आदेश या लोप या निष्क्रियता से है :

परन्त् यह कि किसी करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुये, किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण के उत्पन्न होने वाले किसी दावा के बारे में कोई निर्देश नहीं किया जायगा;

परन्तु यह और कि किसी लोक सेवक की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि और जहां दो या दो से अधिक विधिक प्रतिनिधि हो, सभी संयुक्त रूप से ऐसे मृत लोक सेवक के देय वेतन, भत्ता ग्रेच्यूटी, भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवा सम्बन्धी आर्थिक लाभों हेत् अधिकरण के समक्ष दावा निर्दिष्ट कर सकें।}²

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक निर्देश ऐसे प्ररूप में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य और ऐसे निर्देश के दाखिल किये जाने के संबंध में ऐसी फीस और आदेशिकाओं के निष्पादन या तामील के लिए ऐसी अन्य फीस, जो विहित की जाय, संलग्न की जायगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर, यदि अधिकरण का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाय कि संदर्भ उसके न्याय निर्णयन या विचारण के लिये उचित है, तो वह निर्देश ग्रहण करेगा और यदि अधिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह इसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे संक्षेपतः नामंजर कर देगा।
- (4) जहां कोई निर्देश, उपधारा (3) के अधीन अधिकरण द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो, वहां एसे निर्देश की विषय वस्तु से सम्बन्धित शिकायतों को दूर करने के बारे में सुसंगत सेवा नियमावली या विनिमय या किसी संविदा के अधीन ऐसी प्रत्येक कार्यवाही का, जो ऐसे निर्देश ग्रहण किये जाने के पूर्व लम्बित है, उपशमन हो जायगा और उसके सिवाय जैसा अधिकरण निर्देश दे, ऐसे विषय के सम्बन्ध में इसके पश्चात कोई अपील या अभ्यावेदन ऐसी नियमावली, विनिमय या संविदा के अधीन ग्रहण नहीं किया जायगा।
- (5) अधिकरण सामान्यतया कोई निर्देश तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि लोक सेवक ने सुसंगत सेवा नियमावली विनिमय या संविदा के अधीन शिकायतों को दूर करने के बारे में उसे उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग कर लिया है।
- (6) उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, यदि राज्य सरकार या उसके किसी प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसी नियमावली विनिमय या संविदा के अधीन शिकायत के संबंध में किस लोक सेवक द्वारा प्रस्तृत की गयी अपील या दिये गये अभ्यावेदन को निरस्त करते हुए कोई अंतिम आदेश दिया गया हो, तो यह समझा जायगा कि लोक सेवक न उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग कर लिया है :

अधिकरण को दावा निर्दिष्ट करना

^{1—} उ०प्र० अधिनियम सं० ७ वर्ष 1992 की धारा 5 द्वारा धारा 3-क बढायी गयी।

^{2—} उत्तराखण्ड अधिनियम सं० ३४ वर्ष २०१३ की धारा ४ द्वारा प्रतिस्थापित।

(धारा 4-क)

परन्तु यह कि जहां लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील या दिये गये अभ्यावेदन के सम्बन्ध में राज्य सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अपील प्रस्तुत करने या अभ्यावेदन देने के छः माह के भीतर कोई अन्तिम आदेश न दिया गया हो, वहां लोक सेवक रिजस्ट्रीकृत डाक से लिखित सूचना द्वारा ऐसे सक्षम प्राधिकारी से आदेश पारित करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना की तामील के एक मास के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायगा कि लोक सेवक ने उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग कर लिया है।

- (7) उपधारा (5) और (6) के प्रयोजनों के लिए यदि राज्यपाल या किसी अन्य कृत्यकारी को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई उपचार किसी लोक सेवक को उपलब्ध है तो ऐसे उपचार को उपलब्ध उपचारों में से कोई उपचार तब तक नहीं समझा जायगा, जब तक कि लोक सेवक ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का चयन नहीं करता है।
- [4-क-- (1) अध्यक्ष दावों के ऐसे निर्देशों और अन्य विषयों के, जैसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, निस्तारण के लिये समय-समय पर न्याय पीठों का गठन कर सकता है, जिसमें एक सदस्य दो सदस्य होंगे।

अधिकरण द्वारा निर्देश की सुनवाई

- (2) अध्यक्ष के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी एक न्यायपीठ के सदस्य के रूप में स्वयं को नाम निर्दिष्ट करे।
- (3) दो सदस्यों से गठित न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासकीय सदस्य होगा।

स्पष्टीकरण:— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये कोई अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश रह चुका हो या कोई उपाध्यक्ष, जो जिला न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायिक सदस्य समझा जायेगा और कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य रह चुका हो प्रशासकीय सदस्य समझा जायेगा।

- (4) अधिकरण की अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग ऐसी किसी न्यायपीठ द्वारा किया जा सकता है और ऐसी किसी न्यायपीठ द्वारा ऐसी अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार का प्रयोग करके किये गये किसी कार्य को अधिकरण द्वारा कृत कार्य समझा जायेगा।
- (5) {(क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले से सम्बन्धित किसी आदेश के विरूद्ध दावे के किसी निदेश की सुनवाई और उसका अन्तिम विनिश्चय दो सदस्यों से गठित न्यायपीठ द्वारा किया जायगा :

परन्तु एक सदस्य द्वारा साक्ष्य लिया जा सकता है और उसकी कार्यवाही को संचालित किया जा सकता है;]³

- (ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट दावे के निर्देश से भिन्न दावे के निर्देश की सुनवाई और उसका अन्तिम रूप से विनिश्चय एक सदस्य से गठित न्यायपीठ द्वारा किया जा सकता है।
- (ग) अध्यक्ष, {स्वप्रेरणा से या दावे के किसी निर्देश के किसी पक्षकार के आवेदन पर,}⁴ किसी मामले का अन्तरण एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ को कर सकता है।
- (6) जहां दो सदस्यों से गठित किसी न्यायपीठ के सदस्य किसी मामले में सहमत न हों तो मामला अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अन्य सदस्य को निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसे अन्य सदस्य का विनिश्चय अन्तिम और प्रभावी होगा।
- (7) इस अधिनियम के अधीन कार्य सम्पादन के लिये अधिकरण, उसकी न्यायपीठ और सदस्यों की बैठक लखनऊ में या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, होगी।}1

^{1—} उ०प्र० अधिनियम सं० ०७ वर्ष 1992 की धारा ७ द्वारा, प्रतिस्थापन।

^{2—} उ०प्र० अधिनियम सं० ५ वर्ष २००० की धारा ५ द्वारा धारा प्रतिस्थापित।

³⁻ उपर्युक्त की धारा 6 (क) द्वारा, प्रतिस्थापन।

⁴⁻ उपर्युक्त की धारा 6 (ख) द्वारा, शब्द प्रतिस्थापित।

(धारा 5

5— (1) (क) अधिकरण सिविल प्रकिया, 1908 में निर्धारित प्रकिया या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में दिये गये साक्ष्य नियमों से बाध्य नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा, और इस धारा के उपबन्धों और धारा 7 के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अधिकरण को अपनी प्रक्रिया (जिसमें अपनी बैठक का स्थान और समय नियत करना और यह विनिश्चित करना भी सिम्मिलत है कि बैठक सार्वजनिक या असार्वजनिक तौर पर की जाय) विनियमित करने की शक्ति होगी।

अधिकरण की शक्ति और प्रकिया

[परन्तु जहां किसी निर्देश विषय वस्तु के सम्बन्ध में,सक्षम न्यायालय ने पहले ही डिक्री या आदेश पारित कर दिया है या समादेश (रिट) जारी कर दिया है या निदेश दे दिया है और ऐसी डिक्री, आदेश, समादेश या निदेश अन्तिम हो गया है, वहां पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होगा;}1

- ²{(ख) धारा 4 के अधीन किसी निर्देश पर परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानो निर्देश सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया कोई वाद हो किन्तु—
 - (1) उक्त अधिनियम की अनुसूची में विहित परिसीमा काल के होते हुए भी ऐसे निर्देश के लिये परिसीमा—काल एक वर्ष होगा:
 - (2) परिसीमा—काल की संगणना करने में, उस दिनांक से जब लोक—सेवक अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार कोई अभ्यावेदन करता है या कोई अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य याचिका (जो राज्यपाल को दिया गया विनिवेदन न हो) प्रस्तुत करता है, प्रारम्भ होने वाली, और उस दिनांक को जब ऐसे लोक—सेवक को, यथास्थिति, ऐसे अभ्यावेदन, अपील, पुनरीक्षण या याचिका पर दिये गये अंतिम आदेश की जानकारी हो, समाप्त होने वाली अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायगाः

परन्तु कोई निर्देश जिसके लिये परिसीमा अधिनियम, 1963 द्वारा विहित परिसीमा—काल एक वर्ष से अधिक हो, धारा 4 के अधीन निर्देश उस अधिनियम द्वारा विहित अवधि के भीतर या उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ से ठीक एक वर्ष के भीतर, इसमें जो भी अवधि पहले समाप्त होती हो, किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथा प्रतिस्थापित इस खण्ड की किसी बात का कोई प्रभाव किसी ऐसे निर्देश पर नहीं पडेगा जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया और विचाराधीन हो।}²

- (2) अधिकरण प्रत्येक निर्देश को यथाशीघ्र विनिश्चित करेगा और साधारणतया प्रत्येक मामला दस्तावेजों और अभ्यावेदनों के परिशीलन और {मौखिक या लिखित बहस}³, यदि कोई हो, के अधारा पर विनिश्चित किया जायगा।
- (3) अधिकरण साक्ष्य में, किसी मूल दस्तावेज के बदले, किसी राजपत्रिक अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित उसकी प्रतिलिपि ग्रहण कर सकता है।
- (4) अधिकरण साधारणतया मौखिक साक्ष्य पेश करने को न कहेगा और न अनुज्ञा देगा, और यदि आवश्यक हो, किसी पक्षकार से शपथ दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है।
- (5) अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजनार्थ उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियां होंगी, जो किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है:—

^{1—} उ०प्र० अधिनियम सं० 1 वर्ष 1977 की धारा 4 खण्ड (1) द्वारा, परन्तुक बढ़ाया गया।

^{2—} उ०प्र० अधिनियम सं० 13 वर्ष 1985 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

³⁻ उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा, शब्द प्रतिस्थापित।

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
 - (ख) दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;
 - (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यलय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अभियाचना करना;
 - (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;
- (च) विधिपूर्ण करार, समझौता या तृष्टि को अभिलिखित करना और तद्नुसार आदेश देनाः
 - (छ) अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करना;
- (ज) व्यतिक्रम के लिए कोई निर्देश खारिज करना या उस पर एक-पक्षीय विनिश्चय देनाः
- (झ) व्यक्तिकम के लिए खारिज किये गये किसी आदेश या अपने द्वारा दिये गये एक–पक्षीय आदेश को अपास्त करना;
- (ञ) किसी निर्देश पर अन्तिम विनिश्चय होने तक, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, अन्तर्वर्ती आदेश देना;
 - (ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाय।

{(5—क) अधिकरण, किसी निदेश से सम्बनिधत किसी कार्यवाही पर या कार्यवाही में कोई अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) तब तक नहीं देगा, जब तक कि——

- (क) ऐसे निर्देश की और अन्तरिम आदेश के लिये आवेदन की प्रतिलिपियां, ऐसे अन्तरिम आदेश के लिये दलील के समर्थन में सभी दस्तावेजों के साथ, उस पक्षकार को न दे दी जायं, जिसके विरूद्ध ऐसी याचिका प्रस्तुत की जाती है; और
- (ख) ऐसे पक्षकार को उत्तर प्रस्तुत करने के लिये कम से कम चौदह दिन का समय न दे दिया जाय और उस विषय में सुनवाई का अवसर न दे दिया जायः

परन्तु अधिकरण खण्ड (क) और (ख) की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकता है और यिद उसका समाधान हो जाता है कि प्रार्थी की किसी हानि का, जिसकी क्षतिपूर्ति धन द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकती है, निवारण करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है तो कारण का अभिलेख करते हुए अपवाद स्वरूप अन्तरिम आदेश दे सकता है, किन्तु कोई ऐसा अन्तरिम आदेश, यिद उसे पहले अभिशून्य न कर दिया जाय, उस दिनांक से, जब वह दिया जाय, चौदह दिन की अविध की सामाप्ति पर प्रभावी न हर जायगा, जब तक कि उक्त अविध की सामप्ति के पूर्व उक्त अपेखाओं का अनुपालन न किया गया हो और अधिकरण ने उस आदेश के प्रवर्तन को जारी न रखा हो।

(5—ख) पूर्ववर्ती उप धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण को किसी लाक—सेवक के निलम्बन, पदच्युति, हटाने, पदावनित, सेवा—समाप्ति, अनिवार्य सेवा—निवृत्ति या प्रत्यावर्तन के लिये सेवायोजक द्वारा दिये गये या दिये जाने के लिये तात्पर्यित आदेश के सम्बन्ध में अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) देने की शक्ति नहीं होगी और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में प्रत्येक अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) जिसे अधिकरण ने इस उपधारा के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व दिया था और जो उस दिनांक को प्रवृत्त था, अभिशून्य हो जायगा।

(धारा 5 ग)

- [(5—ग) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण को किसी लोक सेवक के विरूद्ध सेवायोजक द्वारा की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) देने की शक्ति नहीं होगी और ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में प्रत्येक अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) जिसे अधिकरण ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ हाने से पूर्व दिया था और जो ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त है, अभिशून्य हो जायगा।
- (6) अधिकरण द्वारा की गई कोई घोषणा दावेदार और उसके सेवायोजक पर और किसी ऐसे अन्य लोक सेवक पर बन्धनकारी होगी, जिस दावा के संबंध में, जिससे उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, उसके विरूद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया हो, और उसका किसी विधि न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के समान प्रभाव होगा।
- {(7) किसी निर्देश को अन्तिम रूप से निस्तारित करने वाले, अधिकरण के आदेश का निष्पादन उसी रीति से किया जायेगा, जिस रीति से निर्देश से संगत, दावेदार के सेवायोजन के किसी मामले में, उसके द्वारा प्रस्तुत किसी अपील या अभ्यावेदन में, शिकायतों को दूर करने से संबंधित सुसंगत सेवा नियमों के अधीन ऐसा आदेश देने के लिए सक्षम, राज्य सरकार, या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी, या अन्य व्यक्ति के ऐसे अन्तिम आदेश का निष्पादन किया जाता।}
- (8) (क) सेवायोजक अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए कोई लोक सेवक या विधि व्यवसायी नियुक्त कर सकता है, जो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहलायेगा।
- (ख) लोक सेवक अपनी ओर से अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य लोक सेवक की सहायता ले सकता है, किन्तु इस प्रयोजनार्थ कोई विधि व्यवसायी केवल उस दशा में रख सकेगा जब कि या तो (1) सेवायोजक द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधि व्यवसायी हो, या (2) अधिकरण, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा दे।
- (9) अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 219} और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा।
- (10) किसी निर्देश पर या किसी निर्देश के उत्तर पर या किसी आवेदन पत्र पर या तो नियुक्ति प्राधिकारी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या जहां नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल हों वहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उप सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी द्वारा और किसी स्थानीय प्राधिकारी निगम या कम्पनी की रिथति में, उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा यथास्थिति हस्ताक्षर किया जा सकता है।

[5—क— न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अधीन उच्च न्यायालय की, उसके अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के सम्बन्ध में, अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिकरण को अपने अवमान के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जायेगा, जो कि उच्च न्यायालय को अपने अवमान के सम्बन्ध में है और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन, लागू होंगे, अर्थात :——

अवमान के लिए शास्ति की शक्ति

^{1—} उ०प्र० अधिनियम सं० ०७ वर्ष १९९२ की धारा ८ द्वारा प्रतिस्थापित।

²⁻ उ०प्र० अधिनियम सं० ०५ वर्ष २००० की धारा ७ (क) द्वारा जोडी़ गयी।

³⁻ उपर्युक्त की धारा ७ (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 5क-6}

- (क) उसमें उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के प्रति निर्देश को क्रमशः अधिकरण, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के प्रति निर्देश समझा जायेगा ;
- (ख) उक्त अधिनियम की धारा 15 में महाधिवक्ता के प्रति निर्देश को $\{$ दण्ड प्रिकिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक या ऐसे अन्य विधि अधिकारी के $\}$ 4 , जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्देष्ट करे, प्रति निर्देश समझा जायेगा;
 - (ग) उक्त अधिनियम की धारा 19 में,-
 - (एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात:—
 - "(1) अवमान के लिये शास्ति देने की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अधिकरण द्वारा दिये गये किसी आदेश या विनिश्चय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में साधिकार अपील होगी।"
 - (दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात—
 - "(4) उपधारा (1) के अधीन अपील उस आदेश के दिनांक से जिसके विरूद्ध अपील की जाय, साठ दिन के भीतर की जायगी।}""
- 6— (1) किसी व्यक्ति के, जिसके अन्तर्गत धारा 1 की उपधारा (4) के खिण्ड (क) से (छ)} में विनिर्दिष्ट वर्गों के व्यक्ति भी हैं, अनुरोध पर जो लोक सेवक सेवक है या रह चुका है, सेवा—योजन से सम्बन्धित किसी बात के सम्बन्ध में किसी अनुतोष के लिये कोई वाद राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी संविधिक निगम या कम्पनी के विरुद्ध ग्राह्म नहीं होगा।

वाद पर रोक

(2) नियत दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समान अनुतोष के लिए सभी वाद, और ऐसे वादों से प्रोद्भूत होने वाली सभी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के लिये आवेदन—पत्र और अन्य अनुषंगी या सहायक कार्यवाहियां (जिसके अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 39 के अधीन सभी कार्यवाहियां भी है), और अकिचन के रूप में समान अनुतोष के लिए वाद या अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा के लिए सभी आवेदन—पत्र और उच्च न्यायलय के समक्ष विचाराधीन अन्तवर्ती आदेशों से प्रोद्भूत होने वाले सभी पुनरीक्षण उपशमित हो जायेंगे, और उनके अभिलेख (अधिकरण को अन्तरित कर दिये जायेंगे)², और तदुपरान्त अधिकरण उन मामलों पर उसी रीति से विनिश्चय देगा मानों वे धारा 4 के अधीन उसे निर्दिष्ट दावे हों:

परन्तु अधिकरण, धारा 5 के उपबनधों के अधीन रहते हुए, उसी प्रक्रम से कार्यवाही फिर से प्रारम्भ करेगा, जिस पर मामला उपर्युक्त प्रकार से उपशमित किया गया था और न्यायालय में प्रस्तुत अभिवचन या पेश किए गए किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पर कार्यवाही करेगा मानों वह अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत या पेश किए गए थे।

^{1—} उ०प्र० अधिनियम सं० ०७ वर्ष 1992 की धारा ९ द्वारा, धारा 5—क को बढा़या गया।

²⁻ उपर्युक्त की धारा 10 द्वारा शब्द प्रतिस्थापित।

^{3—} उ०प्र० अधिनियम सं० ०५ वर्ष २००० की धारा ८ द्वारा शब्द प्रतिस्थापित।

⁴⁻ उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 6क-7}

(3) नियत दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायलय के समक्ष ऐसे वादों से प्रोद्भूत होने वाली विचाराधीन सभी अपीलों की सुनवाई और निस्तारण उस न्यायालय द्वारा पूर्ववत किया जायगा मानों यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो :

परन्तु यदि उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 के नियम 23 या नियम 25 के अधीन मामला प्रतिप्रेषित या प्रतिनिर्देशित करना आवश्यक समझे तो प्रतिप्रेषण या निर्देश का आदेश सम्बद्ध अधीनस्थ न्यायालय के बजाय (अधिकरण को सम्बोधित होगा) और तदुपरान्त अधिकरण, उच्च न्यायालय के निदेश के अधीन रहते हुए, मामला या विवाद पर उसी प्रकार विनिश्चय देगा मानों वह धारा 4 के अधीन उसे निर्दिष्ट कोई दावा हो।

[6—क—— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक समझे जायंगे। अधिकरण के सदस्य और कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे

6—ख— इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

6—ग— अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 और न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 के प्रयोजनों के लिए न्यायाधीश समझे जायंगे।}³ सदस्य न्यायाधीश होंगे

7— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

- ²{(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :-
 - (क) अधिकरण की शक्तियां और प्रक्रिया;
 - (ख) न्यायपाठों का गठन और उनके बीच कार्य का वितरण;
 - {(ग) वह प्रारूप, जिसमें किसी दावे का निर्देश किया जा सकता है, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य, जो ऐसे निर्देश के साथ संलग्न होंगे और ऐसे निर्देश को दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में या आदेशिकाओं के निष्पादन या तामील के लिए देय फीस;}²
 - (घ) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते:
 - (ङ) अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासकीय शक्तियां;
 - (च) कोई अन्य विषय, जिसके लिये इस अधिनियम में अपर्याप्त उपबन्ध और राज्य सरकार उस निमित्त उपबन्ध बनाना आवश्यक या समाचीन समझे।

^{1—} उ०प्र० अधिनियम सं० ०७ वर्ष 1992 की धारा १० द्वारा, शब्द प्रतिस्थापित।

²⁻ उपर्युक्त की धारा 11 द्वारा, प्रतिस्थापित।

^{3—} उ०प्रं० अधिनियम सं० ०५ वर्ष २००० की धारा १० द्वारा, नई धारायें ६-क, ६-ख और ६-ग का बढाया जाना।

[धारा 8-अनुसूची]

- (3) उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे नियम या उनमें से कोई नियम ऐसे दिनांक से, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के दिनांक से पहले का न हो, बनाने की शक्ति भी है, किन्तु काई ऐसा भूतलक्षी प्रभाव किसी ऐसे नियम को नहीं दिया जायेगा, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिस पर ऐसे नियम प्रयोज्य हो, हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।}1
- 8— (1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अध्यादेश, 1976 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन, अपवाद और संक्रमणकालीन उपबन्ध

- (2) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।
- (3) इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक में उल्लिखित आदेश और इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन—पत्रों के सम्बन्ध में, जो 1975 के उक्त अध्यादेश के तत्समान उपबन्धों में उल्लिखित न थे, नियत दिनांक के प्रति निर्देश का अर्थ 16 फरवरी, 1976 के प्रति निर्देश से लगाया जायगा।

{ अनुसूची

[धारा 4-क (5) (क) देखिये]

मामले, जिनकी सुनवाई और अन्तिम विनिश्चय, दो सदस्यों से गठित न्यायपीठ द्वारा किया जायगा।

- 1- निम्नलिखित से सम्बन्धित किसी आदेश के विरूद्ध दावों के समस्त निर्देश :--
- (क) किसी लोक सेवक की पदोन्नति ज्येष्ठता, जन्मतिथि या अधिवर्षिता का दिनांक:
 - (ख) धारा 2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी सेवा में विनियमितिकरण;
- (ग) किसी लोक सेवक की पदच्युति, हटाये जाने, प्रत्यावर्तन या पदावनित, वेतनवृद्धि पर स्थायी रोक, सेवा में व्यवधान, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निलम्बन, सेवा सामप्ति या त्याग—पत्र;
- (घ) किसी सेवानिवृत्त लोक सेवक की पेंशन का पूर्णतः या अंशतः रोका जाना या प्रत्याहरण करना, पेंशन से वसूली और पेंशन के लिए अवधि की गणना।
- 2- अवमानना के सभी मामले।
- 3— उपर्युक्त मामलों से सम्बन्धित आदेशों के विरूद्ध दावों के निर्देश का ग्रहण किया जाना।}²

^{1.} उ०प्र० अधिनियम सं० ०५ वर्ष २००० की धारा ११ द्वारा, खण्ड (ग) प्रतिस्थापित।